भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1693

10 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

पंजाब राज्य को पोषण संवर्धित चावल का आवंटन

1693. श्री मलविंदर सिंह कंग:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और पीएम-पोषण के तहत पंजाब राज्य को पोषण संवर्धित चावल का वर्ष-वार कितना आवंटन किया गया है;
(ख) पंजाब राज्य में पोषण संबर्धित चावल प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
(ग) क्या किसी गुणवत्ता-परीक्षण से संबंधित समस्याओं या उपभोक्ताओं की शिकायतों की सूचना प्राप्त हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा पंजाब राज्य में वितरित पोषण संवर्धित चावल की पोषण गुणवत्ता और निगरानी सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): वर्तमान में, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत पंजाब को कोई चावल आवंटित नहीं किया जाता है। विगत तीन वर्षों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) के अंतर्गत पंजाब को आवंटित पोषण संवर्धित चावल का विवरण निम्नलिखित है:

वित्तीय वर्ष	आवंटन (टन)
2025-26	15194.00
2024-25	21002.14
2023-24	21078.61

पीएम-पोषण के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा अनुमोदित 15,58,309 बच्चे पोषण संवर्धित चावल सहित मध्याह्न भोजन प्राप्त कर रहे हैं।

...2/-

(ग) और (घ): इस विभाग को जब कभी किसी स्रोत से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन्हें जाँच और उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को भेज दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने भारत सरकार के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्नों की खरीद से लेकर उनके वितरण तक, उनके गुणवत्ता मानकों को समान रूप से बनाए रखने के लिए एक गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली तैयार और जारी की है।

*****